

संख्या 8/5/98-के0से0-11

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियाँ- उपरी आयु सीमा, शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हताओं में छूट संबंधी ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर, इस विभाग के दिनांक 14.1.94 के का0ज्ञा0सं0 8/3/92-के0से0-11 के पैरा 12 में निहित अनुदेशों का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने, मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में स्टाफ नियुक्ति हेतु, उपरी आयु सीमा तथा तदनु रूप पदों हेतु टंकण तथा आशुलिपिक गति सहित शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने संबंधी मामले का पुनरावलोकन करके, इस सम्बन्ध में, प्रधानमंत्री की सहमति से, निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :-

i) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में, स्टाफ नियुक्तियों हेतु उपरी आयु सीमा में छूट संबंधी प्रस्तावों में इस विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा ।

ii) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के लिए, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यताओं में कोई छूट नहीं देय होगी ।

2. वित्त मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियाँ करते समय, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए ।



एच0एस0धीमान
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय श्री छत्तर सिंह, निदेशक, उनकी दिनांक 10.12.98 की अ0वि0सं0 66/31/सी0/48/97-स्था0-11 के संदर्भ में ।
3. व्यय विभाग, ई0जी0ब्रांच, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।